प्रेस नोट दिनाँक 05.09.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्कारी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामविलाश पुत्र कुबेर रैदास निवासी कनकोटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजे

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री राजकपूर यादव
3. आरक्षी राहुल पाण्डेय
4. आरक्षी ब्रजभान
5. आरक्षी बब्बू राजा

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गुमशुदा एवं अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार तथा उनकी टीम द्वारा सूचना के 18 घण्टे के अन्दर अपहृत बालिका को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 04.09.2020 को थाना मारकुण्डी अन्तर्गत ग्राम खदरा मजरा अमचुर नेरुआ निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना मारकुण्डी में सूचना दी गयी कि गांव का ही देवसुन्दर पुत्र राजा भइया कोल मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 39/20 धारा 363 भादवि0 बनाम देवसुन्दर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी द्वारा उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार के नेतृत्व में बलिका की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। उ0नि0 प्रमोद कुमार एवं उनकी टीम द्वारा कड़ी मेहनत कर सुरागरसी पतारसि से दिनाँक 05.09.2020 को समय 07.30 बजे करौंहा तिराहे से अभियुक्त देवसुन्दर को गिरफ्तार किया गया एवं बालिका को बरामद किया गया। इस प्रकार घटना से 18 घण्टे के अन्दर बालिका को सकुशल बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना मारकुण्डी
2. आरक्षी आदर्श गुप्ता
3. महिला आरक्षी खुशबू टंडन

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री संजय उपाध्याय द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डागर्दी करने पर अभियुक्त 1. रामनरेश पुत्र चंदा 2.प्रमोद पुत्र प्रीतम निवासीगण बैहार थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यावही की गयी।